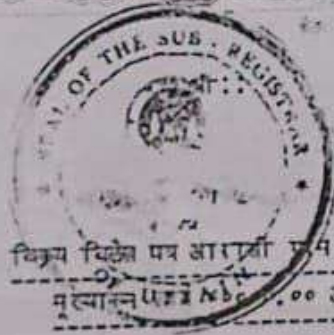




स्टाम्प दफ्ती रु. २००.००

विक्रय दिल्हे पर आरम्भो प्रम बन्देसरीपराना व जिला उज्जैन
मूल्यान्वित १५५ रु. ०० असी हजार रुपये केवल.

क्रिंता

- श्री मांतीसिंह आत्म रामसिंह जाति महाजन
नागर ग्राम १६ बग्न व्यक्तताय कृष्ण निवासी
ग्राम बन्देसरी पराना व जिला उज्जैन.

श्रेता

- श्री अपस्टोलिक एक्साक्रेट ऑफ उज्जैन (APOSTOLIC
EXARCHATE OF UJJAIN). द्वारा अपस्टोलिक
एक्साक्रेट (APOSTOLIC EXARCH) मोणसिंजोर
जॉन पेस्मदन, देवास रांड उज्जैन.

यह विक्रय दिल्हे सोमवार दिनांक १ दिसम्बर १९९९ को
मांतीसिंह आत्म रामसिंह जाति महाजन नागर निवासी ग्राम बन्देसरी
पराना व जिला उज्जैन, जिन्हें आगे क्रिंता सम्बोधित किया गया है,
तथा श्री अपस्टोलिक एक्साक्रेट ऑफ उज्जैन धार्मिक संस्थान जिसका -
प्रतिनिधित्व अपस्टोलिक एक्साक्रेट मोणसिंजोर जॉन पेस्मदन निवासी
देवास रांड उज्जैन द्वारा किया जा रहा है तथा जिन्हें आगे श्रेता सम्बोधित

क्रमांक....९



पृष्ठ क्रमांक २



दस्तावेज नं. २

प्रमाणित

स्पष्ट स्टेट बैंक आफ इंडिया, ब्रांच उज्जैन का श्रीमान ठप पंजीयक महोदय उज्जैन के समक्ष प्राप्त किया है. इस प्रकार विक्रीत कृषि आराजी का सम्पूर्ण विक्रय मूल्य अस्सी हजार रुपये की प्राप्ति चेक द्वारा कर ली है. तथा उक्त वणिर्त कृषि आराजी ज़ेता के हक्क में एतद् द्वारा पूर्ण रूप से अन्तरित तथा समनुदेशित करता है. विक्रय मूल्य की कोई रकम अब ज़ेता से विक्रेता को लेना शोण नहीं है. यदि विक्रेता आग्यदा क्मी कम अदायगी या अदन अदायगी का उत्र करे तो वह इस विक्रय विलेख की तुलना में नाजायज एवं निष्प्रभावी समझा जावे.

यह कि उक्त वणिर्त कृषि आराजी के सम्बन्ध में जो मूमि स्वामी तथा दाएली तथा सारजी के स्वत्व मुझ विक्रेता को प्राप्त थे उन सभी स्वत्वों सहित उक्त आराजी ज़ेता के हक्क में अन्तरित कर ज़ेता को उक्त आराजी का वास्तविक आधिपत्य मोके की नपती करा कर तथा हद हद्द बत्ता कर करा दिया है. इस आराजी पर जो जुवार की फसल खड़ी है उसका मोके का पंच नामा कर तदनुसार विक्रेता ने खड़ी फसल की - कीमत ज़ेता को अदा कर दी है व इस सम्बन्ध में अब कुछ लेना शोण नहीं है. जुवार की यह फसल पकने पर उसे विक्रेता कटवा लेगा. इस आराजी में विक्रेता द्वारा जो गेहूँ की फसल बोआई गई है उसके विख्वारे व बुवाई की रकम विक्रेता ने ज़ेता से प्रथम से प्राप्त कर ली है व इस पेटे अब कुछ लेना शोण नहीं है. व गेहूँ की यह खड़ी फसल ज़ेता की है. तात्पर्य यह है कि विक्रेता ने इस आराजी पर जो फसल खड़ी है, उस फसल सहित

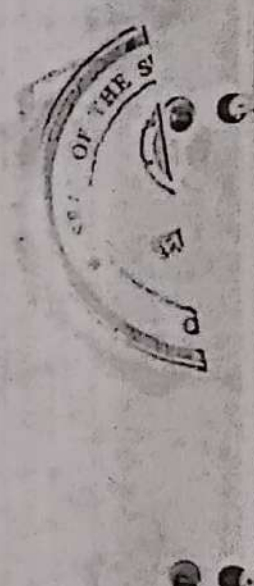
क्रमशः४

1964-65-3000-
10-10-65

1964-65-3000-
10-10-65

1964

1964



[Handwritten signature]

PRINCIPAL
NIRMALA COLLEGE
UJJAIN (M.P.) 456664



पृष्ठ क्रमांक १

वास्तविक आधिपत्य श्रेता को उक्त शरायों के अनुसार दे दिया है। आज से विक्रीत आराजी से मुझ विक्रेता का तथा संबंधियों व वैरा प्रतिनिधियों का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं रहा। ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अन्तर्गत जो स्वत्व एक श्रेता को प्राप्त होते हैं वे समस्त स्वत्व विक्रीत इस आराजी के सम्बन्ध में आज से श्रेता को प्राप्त होंगे। श्रेता अब आगे भविष्य में इस आराजी को अपने स्थावर द्रव्य (CHATEL) और संपत्ति के रूप में धारण, उपयोग और उपभोग करें उसमें विक्रेता अथवा अन्य किसी व्यक्ति को बाधा, खटबन, दावा या मांग करने का कोई स्वत्व नहीं होगा।

यह कि विक्रीत उक्त आराजी सभी प्रकार के मताल्ले, कर भारों, दावों या मांगों से मुक्त हैं। विक्रय दिनांक तक समाप्त होने वाले कृषि वर्ग का लगान नगद विक्रेता द्वारा अदा किया जा चुका है। यदि विक्रय दिनांक पूर्व के किसी मताल्ले या करों या भारों के बारे में भविष्य में कोई मांग हो तो विक्रेता उसका देन्दार होगा व ऐसे किसी भी कर भार या मताल्ले का दायित्व विक्रेता के आधिपत्य में स्थित उसकी अन्य संपत्ति या आराजी पर होगा व श्रेता द्वारा जय किमे जा रहे इस आराजी का उससे कोई संबंध नहीं रहेगा। अर्थात् विक्रीत यह आराजी ऐसे सभी कर मताल्ले दावों या मांगों से उन्मुक्त रहेगी। विक्रीत आराजी किसी - न्यायालय या किसी व्यक्ति की डिब्बी या संधारणाधिकार (LIEN) के अधीन नहीं है। यदि किसी कारण उक्त आराजी के सम्बन्ध में कोई

क्रमांक:१

12th June - 2011
20.11.11

मालिका 2157112
अनंदा 2157112

1127
अनंदा



P. L.
PRINCIPAL
NIRMALA COLLEGE
UJJAIN (M.P.) 45660



पृष्ठ क्रमांक ५

कर या उप कर अथवा किसी मतालये या मार का दायित्व विक्रेता का क्रेता को वहन या सहन करना पड़े तो क्रेता को यह हक्क होगा कि वह ऐसा समस्त व्यय विक्रेता की जात व जायदाद से मय व्याज व खर्च के वसूल करें.

यह कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित इस आराजी में कोई कुआ या बावड़ी नहीं है केवल पानी की एक नहर है. इस भूमि में स्थित नहर का मुआवजा शासन से विक्रेता को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है. यदि विक्रय दिनांक के उपरान्त शासन से इस नहर की भूमि का कोई मुआवजा विक्रेता को प्राप्त हुआ तो वह मुआवजा विक्रेता द्वारा क्रेता को अदा कर दिया जावेगा व विक्रेता को मुआवजे की यह रकम स्वयंभू रखने का कोई स्वत्व नहीं होगा.

यह कि विक्रीत इस आराजी में किसी का कोई रास्ता नहीं है तथा न ही यह आराजी किसी को बटाई पर दी गई है और न ही इसके अन्य कोई हिस्सेदार है और यह आराजी किसी भी व्यक्ति को उप-नृणाक : शिकमी : स्वत्व पर नहीं दी गई है और न ही किसी व्यक्ति को इस आराज के स्वत्व प्राप्त है. इस आराजी में स्थित समस्त वृक्ष दाखिल बय है.

क्रमांक : ६

PRINCIPAL
NIRMALA COLLEGE
UJJAIN (M.P.) 456004

Scanned with CamScanner

1508-1509-3509-
15. 11. 07

1508-1509-3509-
15. 11. 07

1508

1508

1508



g. li

PRINCIPAL
JRMALA COLLEGE
UJAIN (M.P.) 456664



पृष्ठ क्रमांक ६



म.प्र.स. १५/५/७७

15/5/77

यह कि विक्रेता और उसके अधीन दावा करने वाले अन्य सभी वेंच व्यक्ति आगे भविष्य में सभी समय क्रेता के सबै पर सभी ऐसे वेंच कार्यों, विलेखों और चीजों को करेगा और निष्पादन करेगा और करायगा जिससे उक्त विक्रित आराजी का क्रेता और उसके प्रतिनिधियों के पक्ष में पूर्ण स्पेण हस्तान्तरण हो जावे और वे तथा उनके वेंच प्रतिनिधि पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जावे और इस विलेख के वास्तविक अभिप्रायों और - अर्थात् में उन्हें पूर्ण स्वत्व प्राप्त हो जावे. क्रेता को यह अधिकार होगा कि वे शास्त्रीय कागजात में उक्त विक्रित आराजी के स्वामित्व पर से विक्रेता का नाम कम करवा कर स्वयं का नाम अंकित करवा लेवे. तथा - अनुपातिक लगान निर्धारित करवा लेवे नामान्तरण तथा तत्संबंधी अन्य कार्यवाही में विक्रेता बिना किसी आपत्ति के क्रेता को पूर्ण सहयोग करेगा.

यह कि विक्रित यह आराजी पूर्णतया विक्रेता के भूमि स्वामी स्वत्व की है. यदि विक्रेता की किसी स्वत्व की भ्रुटि अथवा गलत बयानी के कारण उक्त विक्रित आराजी के स्वत्व पूर्व आधिपत्य से क्रेता को कभी वंचित होना पड़े तो क्रेता को यह अधिकार होगा कि वे विक्रय धन मय व्याज फल रूपया प्रतिशत प्रतिमाह की दर से मय होने सबै के विक्रेता अथवा उसके प्रतिनिधियों या समनुदेशितों की जात व जायदाद से वसूल करे इससे विक्रेता अथवा उसके प्रतिनिधियों व समनुदेशितों को कोई आपत्ति नहीं होगी. इस विक्रय विलेख की समस्त शर्तें मुझ विक्रेता तथा मेरे प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितों पर पूर्णतया बंधनकारक होकर पालनीय होंगी.

यह कि विक्रित आराजी के संबंध में मुझ विक्रेता के पास उपलब्ध सम्पूर्ण दस्तावेजात : DOCUMENTS. : मेरे क्रेता को सौंप दिये हैं. इसके अतिरिक्त अब कोई दस्तावेज विक्रेता के पास नहीं है. विक्रित

क्रमशः७

Scanned with CamScanner

1561 - 21/10/2020 -
20-10-20

11/10/2020 21/10/2020
C200 3768.72 per.

1509
One more



g. li

PRINCIPAL
NIRMALA COLLEGE
UJJAIN (M.P.) 456664



पृष्ठ क्रमांक ७

आराजी के सम्बन्ध में पूर्ण स्थिति आदि से विक्रेता ने क्रेता को व्यक्तित्वः पूर्णतया अवगत करा दिया है।



अतएव उपरोक्तानुसार ग्राम चन्देसरी परगना व जिला उज्जैन की साता नम्बर ११ पैकि आराजी सर्वे नम्बर १४ रकबा १० बीघा छगानी बरुये रेट के सम्बन्ध में विक्रय विक्रेता राजी चुशी व स्वेच्छा से तथा पूर्ण विक्रय मूल्य रुपये ४००००.०० अस्सी हजार रुपये प्राप्त कर सौच समझाकर तथा बिना किसी प्रकार का मादक द्रव्य सेवन किये स्वस्थचित होकर बिना किसी दवाव के संपादित कर दिया व अभिस्वीकृति की पुष्टि में साक्षीयों के समक्ष हस्ताक्षर कर दिये सों सनद रहे और आवश्यकतानुसार काम - आवे. इति दिनांक १-१२-१९६९ ई. म्स्ती अगहन विदी ७ संवत् २०२६ वि. स्थान उज्जैन.

मेरे द्वारा तैयार किये गये
ग्राह्य अनुसार मेरे निर्देशन में -
टाईप किया गया.

हस्ताक्षर विक्रेता *Handwritten signature*

Handwritten signature
: मुकुन्द अष्टपुत्रे :
पहचानकर्ता

साक्षी *Dr. Joseph Karikilambudam*
(*कारिकिलम्बुदम*)

साक्षी *Dr. Joseph Karikilambudam*

PRINCIPAL
NIRMALA COLLEGE
UJJAIN (M.P.) 456664

10-11-88

10-11-88

बाज तारीख 7: ... 1988
 14:00 को पुनः प्रयोग ...
 मेष 1988 ...
 1988 ...
 दिनांक पंजीकृत किया गया।



ग्रामपट्टी 2800/-
 विदेशीय मुद्रा 360/-
 बस्ता - पत्ता मुद्रा 9/-
 बिलान मुद्रा 8/-
 1. मुद्रा 363/-

Sub Registrar (S.P.)
 UJJAIN (M.P.)